यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, पौड़ी** के माह 04/2013 से 01/2017 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा देवेन्द्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.02.2017 से 10.02.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30.04.2013 से 03.05.2013 तक श्री डी.के. पिपलानी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था। जिसमें माह 2008-09 से 2012-13 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 01/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, पौड़ी का मुख्य कार्यकलाप चिकित्सालय में आने वाले रोगियों का चिकित्सा उपचार देना।
(ii) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, पौड़ी एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र महिला चिकित्सालय एवं आवासीय क्षेत्र।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	0	0	155.60	150.42	20.00	20.00		5.18
2014-15	0	0	184.80	171.80	40.00	40.00		13.00
2015-16	0	0	229.78	211.75	30.00	30.00		18.02
2016-17 (upto Dec.)	0	0	212.81	177.29	15.00	15.00		----

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2013-14	शून्य	-	-	-	-
2014-15	शून्य	-	-	-	-
2015-16	विधायक निधि	शून्य	3.00	-	3.00
2016-17 (upto Dec. 2016)	विधायक निधि	3.00	0.78	3.78	-

(III) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, से प्राप्त होता है। विभाग के संगठनात्मक ढांचे की स्थिति संलग्न है।

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, पौड़ी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, पौड़ी** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2015 एवं 10/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या	STAN
----------शून्य----------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------शून्य----------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

----------शून्य----------

<u>भाग 2'ब'</u>

प्रस्तर-1- ` 1.43 लाख की पुस्तकीय मूल्य की सामाग्री का नीलाम न किया जाना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI प्रस्तर 189 एवं 190 के अनुसार जैसे ही यह तथ्य सामने आए कि स्टोर की कोई सामाग्री निष्प्रयोज्य हो गयी है तो तत्काल फॉर्म 18 के प्रारूप में एक रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को दी जाएगी। इसके पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक नीलामी द्वारा बिक्री कर सामग्री का समायोजन किया जाएगा ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय पौड़ी के लेखा अभिलेखो में पाया गया कि ` 1,43,178.00 की पुस्तकीय मूल्य की सामग्री (सूची संलग्न), विगत एक से 02 वर्षो से अनुपयोगी अवस्था में पड़ी हुई है।

उक्त सामग्री कुल धनराशि ` 1,43,178.00 चिकित्सालय के स्टोर में रखी हुई है जिसको शीघ्र नीलाम किया जाना था लेकिन चिकित्सालय द्वारा नहीं कराया गया। उक्त सामग्रियों को नीलाम करके समायोजन किया जाना चाहिए, उक्त सामग्री प्रति वर्ष क्षति हो रही है और उस सामग्री के मूल्य में कमी आ रही है।

उपरोक्त के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर मे कहा है कि कार्य की अधिकता एवं समयाभाव के कारण नीलामी नहीं हो पायी शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ` 1.43 लाख की सामग्री निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है जिससे इसके मूल्य मे उतरोत्तर कमी होना निश्चित है

इस प्रकार ` 1.43 लाख की निष्प्रयोज्य सामाग्री को नीलाम न किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-1- ` 0.35 लाख का औषधियों पर परिहार्य व्यय।

चिकित्सा महानिदेशक द्वारा जारी दिनांक 29 जून 2002 के कार्यालय आदेश में यह प्राविधानित है कि औषधियों का स्थानीय क्रय अधिकतम खुदरा मूल्य से 16 धन 7 प्रतिशत (23 प्रतिशत) निम्न दरों पर किया जाए। इसी तरह उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी Standard Treatment Guidelines में यह निर्देश दिये गए थे कि चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इलाज हेतु जेनेरिक औषधियों ही लिखी जाए।

कार्यालय जिला चिकित्सालय पौड़ी गढ़वाल के 04/2013 से 01/2017 तक के औषधियों के स्थानीय क्रय संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा 2013-14 से 01/2017 तक ` 2.19 लाख की औषधियों का स्थानीय क्रय किया गया। आगे जांच में पाया गया कि 2011-12 से 2013-14 तक M/S बृज मेडिकल पौड़ी से खुदरा मूल्य से 20.03 प्रतिशत निम्न दरों पर औषधियों का स्थानीय क्रय किया गया। 2014-15 से वर्तमान (01/2017) तक M/S बृज मेडिकल पौड़ी से ही खुदरा मूल्य से मात्र 5 प्रतिशत निम्न दरों पर औषधियों का स्थानीय क्रय किया जा रहा है।

औषधियों का स्थानीय क्रय अधिकतम खुदरा मूल्य 16 धन 7 प्रतिशत (23 प्रतिशत) निम्न दरों पर किया जाना था जो विभाग द्वारा नहीं किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

(धनराशि ` में)

वर्ष	**अधिकतम खुदरा मूल्य के अनुसार क्रय की गयी औषधियों की लागत**	**अधिकतम खुदरा मूल्य से निम्न दर पर क्रय की गयी औषधियों का मूल्य**	**अधिकतम खुदरा मूल्य से 23 प्रतिशत निम्न दर के अनुसार क्रयकी जाने वाली औषधियों का मूल्य**	**अधिक व्यय (3-4)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2013-14	95600	83006	73612	9394
2014-15	68008	64609	52366	12243
2015-16	56323	53509	43368	10141
2016-17 upto 12/2016	18998	18049	14628	3431
	योग	**219173**	**183974**	**35199**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य से 23 प्रतिशत निम्न दर के स्थान 5 प्रतिशत से 20.03 प्रतिशत की निम्न दर से औषधियों का स्थानीय

क्रय किया गया जिसका फलस्वरूप चिकित्सालय द्वारा ` 0.35 लाख औषधियों पर परिहार्य व्यय किया गया।

आगे जांच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा निविदा संबधी सूचना में जेनेरिक औषधियों की पूर्ति एवं अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर आपूर्ति की शर्तें ही नहीं रखी थी। जिससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा की गयी निविदा महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं मापदण्डों के अनुरूप नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने तथ्यों एवं आकंणों की पुष्टि की तथा औषधियों के स्थानीय क्रय हेतु जिला चिकित्सालय पौड़ी के अनुमोदित निविदा दरों पर क्रय किए जाने हेतु चिकित्सा प्रबंधन समिति जिला महिला चिकित्सालय पौड़ी की समय-समय पर बैठकों में अनुमोदन प्रदान किया गया। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि M/S बृज मेडिकल पौड़ी से खुदरा मलूय् से 2013-14 तक 20.03 प्रतिशत निम्न दरों पर औषधियों का स्थानीय क्रय किया गया 2014-15 से वर्तमान तक उसी फर्म से 5 प्रतिशत निम्न दरों पर औषधियों का स्थानीय क्रय किया गया। जिससे स्पष्ट है कि संबंधित फर्म को अनियमित लाभ पहुंचाया गया।

अतः दिशा निर्देशों का पालन न किए जाने के कारण औधियों का स्थानीय क्रय में ` 0.35 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) अनुपालन आख्या

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ.सावित्री उनियाल	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	22/11/11 से 31/08/13
2.	डॉ. ए.एस. राय	बाल रोग विशेषज्ञ	01/09/13 से 25/11/13
3.	डॉ. एस.सी. पन्त	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	26/11/14 से 04/11/14
4.	डॉ एस.डी. उनियाल	निदेशक गढ़वाल मण्डल	05/11/14 से 30/09/15
5.	डॉ. पी.आर. पाण्डेय	स्त्री रोग विशेषज्ञ	01/10/15 से 19/01/16
6.	डॉ. कल्पना गुप्ता	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	20/01/16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)